

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2013/माघ 29, 1934

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 273

No. 30]

DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2013/MAGHA 29, 1934

[ N.C.T.D. No. 273

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग

( समन्वय शाखा )

अधिसूचना

दिल्ली, 18 फरवरी, 2013

सं. फा. 29/2/2012/सा.प्र.वि./समन्वय/डीएसजीएडी III/750-797.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28-6-1973 की अधिसूचना संख्या यू-11030/2/73-यूटीएल के साथ पठित परक्राम्य प्रलेख अधिनियम, 1881 की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 21-8-2012 की पूर्व अधिसूचना संख्या 29-2-2012/सा.प्र.वि./समन्वय/डीएसजीएडी/III/3373-3420 के आंशिक आशोधन में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि 30 सितम्बर, 2013 (शक सम्वत् 1935 आश्विन 08 सोमवार) को बैंक खातों की अर्ध वार्षिक लेखा बंदी के अवसर पर बैंक अवकाश नहीं होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,

प्रमोद कुमार, उप-सचिव (सा. प्र. वि./सम.)

GENERAL ADMINISTRATION  
DEPARTMENT

(Co-ordination Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 18th February, 2013

No. F. 29/2/2012/GAD/CN/dsgad III/750-797.—  
In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Negotiable Instruments Act, 1881 read with the Government of India, Ministry of Home Affairs' Notification No. U-11030/2/73-UTL, dated 28-6-1973, and in partial modification of earlier Notification No. F.29/2/2012/GAD/CN/dsgad/III/3373-3420, dated 21-8-2012, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby announces that the 30th September, 2013 (Saka Samvat 1935 Asvin 08 Monday) will not be observed as a bank holiday on account of half yearly closing of the bank accounts.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,

PRAMOD KUMAR, Dy. Secy. (GAD/CN)

लोक निर्माण विभाग एवं आवास  
( आबंटन शाखा )

अधिसूचना

दिल्ली, 18 फरवरी, 2013

सं. फा. 4(1)/वि./पार्ट-2/लो.नि.वि./आ.-  
2/2009/2294.—मौलिक नियमावली के नियम 45 के उपबंधों  
के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके  
द्वारा दिल्ली सरकारी आवास आबंटन ( सामान्य पूल ) नियमावली,  
1977 में आगे संशोधन करने के लिये निम्न प्रकार से नियम बनाते हैं,  
अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ.—(i) इन नियमों को राष्ट्रीय  
राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सरकारी आवास आबंटन ( सामान्य  
पूल ) (संशोधन) नियमावली, 2013 कहा जायेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी  
होंगी।

2. नियम 20 में संशोधन.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,  
सरकारी आवास आबंटन ( सामान्य पूल ) नियमावली, 1977 (जिसे  
इसके बाद मूल नियमावली कहा गया है), के नियम 20 के उप-नियम  
(ग) के बाद निम्नलिखित में सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

“नियम (20)घ. पात्रता श्रेणी से एक श्रेणी नीचे बिना  
बारी के आबंटन।

- (क) माननीय उपराज्यपाल के साथ काम करने वाले निजी  
स्टाफ के मामले में तीन यूनिट से अधिक नहीं।
- (ख) मुख्यमंत्री के साथ काम करने वाले निजी स्टाफ के  
मामले में तीन यूनिट से अधिक नहीं।
- (ग) मंत्रीगण के साथ काम करने वाले निजी स्टाफ के  
मामले में दो यूनिट से अधिक नहीं।

यदि कार्य की आवश्यकता में ऐसा प्रतीत होता है, तो  
तत्काल पारी से पहले आबंटन की अनुमति दी जाती है।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,

आर. डी. शर्मा, उप-सचिव (लोक निर्माण विभाग)

PUBLIC WORKS DEPARTMENT AND  
HOUSING

(Allotment Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 18th February, 2013

No. F. 4(1)/Misc./P-II/PWD/A-II/2009/2294.—

In pursuance of the provisions of rule 45 of the  
Fundamental Rules, the Lt. Governor of National Capital  
Territory of Delhi hereby makes the rules further to amend  
the Government of National Capital Territory of Delhi  
Allotment of Government Residential (General Pool)  
Rules, 1977, as following, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules  
may be called the Government of National Capital Territory  
of Delhi Allotment of Government Residences (General  
Pool) (Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come in to force on the date of  
their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of Rule 20.—In the Government  
of National Capital Territory of Delhi Allotment of  
Government Residences (General Pool) Rules, 1977 in rule  
20, after sub-rule (c), the following shall be inserted,  
namely :—

“Rule (20) D. Out of turn allotment of  
accommodation on one type below the entitled category :

- (a) Not exceeding three units in the case of  
personal staff attached to the Hon'ble LG, Delhi.
- (b) Not exceeding three units in the case of  
personal staff attached to the Chief Minister.
- (c) Not exceeding two units in case of personal  
staff attached to the Ministers,

may be allowed immediately on out of turn basis  
if the exigencies of duties so demand.”

By Order and in the Name of Lt. Governor of  
National Capital Territory of Delhi,

R. D. SHARMA, Dy. Secy. (PWD)